**कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़**
**"सी–ब्लॉक, तृतीय तल,**
**इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर**
फोन नं. **0771-2582799, 2582088, E-mail : atc.cg@gov.in**

**//आदेश//**

क्रमांक 83/तक./टीसी/2020 नवा रायपुर दिनांक 02/05/2020

प्रति,

**समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।**
**समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।**
**समस्त क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, छत्तीसगढ़।**

विषयः– "कोरोना वायरस" (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा को स्थगित रखने के संबंध में।

संदर्भः–
1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश पत्र No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 24-03-2020
2. परिवहन मुख्यालय का पत्र क्र. 40/टीसी/2019 दिनांक 19.03.2020
3. परिवहन मुख्यालय का पत्र क्र. 5971/टीसी/2019 दिनांक 21.03.2020
4. परिवहन मुख्यालय का पत्र क्र. 5972/टीसी/2019 दिनांक 21.03.2020
5. परिवहन मुख्यालय का पत्र क्र. 46/टीसी/2019 दिनांक 23.03.2020
6. परिवहन मुख्यालय का पत्र क्र. 65/तक./टीसी/2020 दिनांक 15.04.2020
7. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश पत्र No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 01-05-2020

––00––

विषयांतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं परिवहन मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से "कोरोना वायरस" (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/ऑटो/ई–रिक्शा के संचालन को पृथक–पृथक तिथियों तक स्थगित किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में "कोरोना वायरस" (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आगामी 04 मई, 2020 से दो सप्ताह की प्रभावी अवधि तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

अतः लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/ऑटो/ई–रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त, स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुमति आवश्यक होगी।

**( डॉ. कमलप्रीत सिंह )**
**परिवहन आयुक्त**
**छत्तीसगढ़**

पृ. क्रमांक/83–ए/तक./टीसी/2020 नवा रायपुर, दिनांक 02/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर।
4. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता)/यातायात पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।

**परिवहन आयुक्त**
**छत्तीसगढ़**

Scanned with CamScanner